



दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
विनियामक भवन, सी-ब्लॉक, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110 017
वेबसाइट: www.derc.gov.in टेलीफैक्स: + 91-11-26673608, + 91-11-41080417

सार्वजनिक नोटिस

जन सुनवाई - मसौदा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (प्रभुलक तथा लेखाकरण के लिए समग्र नियम एवं शर्तें), विनियम, 2015 विचार के लिए।

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण और व्हीलिंग टैरिफ व खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम, 2011, को दिनांक 31 मार्च, 2016 तक बढ़ा दिया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2), धारा 61, 62, 86 के साथ पठित, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस संबंध में अन्य सभी सक्षम शक्तियों के साथ आयोग ने मसौदा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (प्रभुलक तथा लेखाकरण के लिए समग्र नियम एवं शर्तें), विनियम, 2015 तैयार किया है।

1. आयोग ने अपने सार्वजनिक सूचना दिनांकित के द्वारा 18.12.2015 हितधारकों से मसौदा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (प्रभुलक तथा लेखाकरण के लिए समग्र नियम एवं शर्तें), विनियम, 2015 के मसौदा पर आपत्तियों/ टिप्पणियों आमंत्रित की थी।
2. आयोग को मसौदा विनियम पर आपत्तियों/ टिप्पणियों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख 11.01.2016 थी।
3. आयोग ने विभिन्न हितधारकों के अनुरोध / अभ्यावेदन पर हितधारकों से आपत्तियों/ टिप्पणियों की प्राप्ति की अंतिम तिथि 15.02.2016 तक बढ़ाने का निर्णय लिया था।
4. मसौदा नियमों को आयोग की वेबसाइट www.derc.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
5. आयोग ने दिनांक 05.05.2016 को मसौदा दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (प्रभुलक तथा लेखाकरण के लिए समग्र नियम एवं शर्तें), विनियम, 2015 पर जन सुनवाई का आयोजन निम्नलिखित स्थल पर इंगित समयानुसार कराने का फैसला किया है :
- 6.

| दिनांक | स्थल | समय |
|----------------------|---|---------------------|
| 05.05.2016 (गुरुवार) | सभागार स्कोप कन्वेंशन सेंटर, | 11:00 AM से 1:30 PM |
| | स्कोप सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 | 2:30 PM से 5:30 PM |

- * सुनवाई का आयोजन पहले आओ - पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
- * सुनवाई में भाग लेने के लिए अपने साथ अपना फोटो आई कार्ड अवश्य साथ लायें।
- * एंट्री समय सुबह ठीक 10:00 बजे से रहेगा।

सचिव

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग